न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 48/**18 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No. : 2018/00287

1. श्री रामा पिता स्व. खेमा गाडरी निवासी खाकरियाखेडी रठाना तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री जेता पिता स्व. खेमा गाडरी निवासी खाकरियाखेडी रठाना तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

............प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का नूरडा, तहसील मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री ललित वसीटा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री राजपेरोकार, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 17.12.2020

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खाकरियाखेडी रठाना, पटवार हल्का नूरडा तहसील मावली में प्रार्थीगण के खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1082 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि के संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है तथा उक्त कृषि भूमि के हम वादीगण के संयुक्त स्वामित्व व हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में है, नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस इस वाद पत्र के साथ संलग्न है।
2. हम वादीगण द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि जिसका वर्णन कलम सं. 1 में अंकित किया गया है को काश्त कर [illegible] किया है, प्रतिवर्ष फसल बुवाई कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.14 15:30:49 IST
Reason: SelfAttested

पैदावार करते हुए आ रहे है, हम वादीगण की कृष भूमि खसरा सं. 1080 के उत्तर दिशा की तरफ आराजी संख्या 1644/1082, 1895/1644 व आ.न. 1080 किस्म बिलानाम सरकारी भूमि है जो आम सडक से मिल रही है, उक्त तीनो खसरों की बिलानाम सरकारी भूमि में से होकर अपनी संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं. 1082 में आने जाने , बैलगाडी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने हेतु आम सडक से उक्त बिलानाम भूमि मे से आवागमन हेतु रास्ते का उपयोग उपभोग पिछले 40 वर्षो से निर्बाध रूप से करते हुए आ रहे है, हम वादीगणो की कृषि भूमि में आने जोन बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जने हेतु एकमात्र रास्ता जिसको संलग्न नक्शा ट्रेस किया गया है, नक्शा ट्रेस में पूर्व दिशा की तरफ उक्त तीनों खसरा नम्बर की बिलानाम सरकारी भूमि का जुज भाग रास्ता आम सडक से हम वादीगण की कृषि भूमि तक होने से उसे राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज कराने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

3. प्रार्थी अपने उक्त आराजी की भूमि में आने जाने हेतु बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु आराजी सं. 1644/1082, 1895/1644 व आ.न. 1080 का हमेशा से ही उपयोग ले रहा है। जो करीब 30 फीट चौडा रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अतः उक्त भूमि में से रास्ता को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

4. वादपत्र का कारण तब उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 20.3.2018 को बिलानाम भूमि में रास्ता कायम करने हेतु निवेदन किया तो उन्होने कहा की उक्त निर्णय हमारे क्षैत्राधिकार में नहीं है।

5. अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी के ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की भूमि में प्रार्थी को आने जाने हेतु बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु आ.न. 1080 व आराजी सं. 1644/1082, 1895/1644 का जुज भाग जो पूर्वी दिशा की तरफ का है जिसमें संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शित पूर्वी दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण लगभग 60 फीट लम्बाई व पूर्व से पश्चिम लगभग 30 फीट बिलानाम सरकरी रास्ता कायम कराने एंव उक्त रास्ते का नक्शा ट्रेस व रेकर्ड में इन्द्राज कराने हेतु पटवारी हल्का के नाम आदेश प्रदान कराया जावे उपर वर्णित अनुसार रास्ता सुरक्षित रखाया जाने की डिक्री पारित किये [illegible] कृपा करें। ताईद में चालू जमाबन्दी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.14 15:30:49 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा ट्रेस की प्रति साथ संलग्न है। वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में पटवारी से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई। विपक्षी राजपेरोकार द्वारा मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया।

7. प्रकरण में प्रार्थीगण व राजपेरोकार की बहस सुनी। प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण के खातेदार भूमि में आने जाने हेतु रास्ता नहीं होने से पास की आराजी में न्यूनतम दूरी का रास्ता कायम करा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार मावली द्वारा अपनी बहस में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रास्ता दिलाया जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

8. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

    1. क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

       प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण को स्वंय की खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया ।

    2. क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

       तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का रास्ता होना बताया।

    3. यदि प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

       तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Runadia
Date: 2021.01.14 15:30:49 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्याकंन प्रस्तुत करें।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा जहां रास्ते की मांग की है उस भूमि का रकबा 4 बिस्वा भूमि रास्ते में आ रही है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 99,034/– अक्षरे नन्यानवे हजार चौत्तिस रूपयें प्रतिबीघा हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 4 बिस्वा की कुल कीमत 19,810 अक्षरे उन्नीस हजार आठ सौ दस रूपयें होना बताया हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा खाकरियाखेडी रठाना पटवार क्षैत्र नूरडा की आराजी नम्बर 1082 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा में आने जाने हेतु विपक्षी की भूमि आ.न. 1080 व आराजी सं. 1644/1082, 1895/1644 में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। रास्ता पूर्व में सदीप से ही चला आ रहा हैं जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक जाता हैं। विपक्षीगण की आराजी में से प्रस्तावित 30 फीट चौडाई का रास्ता चाहा गया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में 30 फीट चौडाई का आराजी नम्बर आ. न. 1080 मे से 2 विस्वा व आराजी सं. 1644/1082 में से 2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा का प्रस्तावित किया हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। न्यूनतम दूरी वाला 4 बिस्वा का रास्ता प्रस्तावित किया गया हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है। वह वर्तमान में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज हैं। चूंकि प्रार्थीगण के भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया हैं। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.14 15:30:49 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खाकरियाखेडी रठाना पटवार हल्का नूरडा तह. मावली की आराजी नम्बर 1082 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 1080 मे से 2 विस्वा व आराजी सं. 1644/1082 में से 2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 30 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर 99,034/– अक्षरे नन्यानवे हजार चौतिस रूपयें प्रतिबीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 4 बिस्वा की कुल कीमत 19810 का दुगुना 39,620/– रूपयें उन्नचालिस हजार छः सौ बीस रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवाई जावें। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.14 15:30:49 IST
Reason: SelfAttested